संख्या:31/2026/507/35-4-2026/ 35-4002(003)/56/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **3205.62** लाख (रूपये **बत्तीस करोड़ पांच लाख बासठ हजार** मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **1605.00** लाख (रूपये **सोलह करोड पांच लाख** मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम गढी देशराज सेवाया नरोत्तमपुर माजरा बरवाला सम्पर्क मार्ग काली सड़क का निर्माण।	960	35.06	18.00	ग्रा.अ.वि.
2	ग्राम लड़वा से खादर नदी तक लेपन का कार्य।	950	35.04	18.00	ग्रा.अ.वि.
3	तितावी इकराम के खेत तितावी मिल के पीछे खण्डजे से लेपन का कार्य।	970	34.92	17.00	ग्रा.अ.वि.
4	ग्राम खेड़ी सराय ब्लॉक जानसठ में पंकज धीमान के मकान से प्राथमिक विद्यालय न०1 के सामने से नैनपाल के मकान की और इंटरलॉकिंग कार्य।	430	29.51	15.00	ग्रा.अ.वि.
5	ग्राम घटायन दक्षिणी ब्लॉक जानसठ में ऋषिपाल धीमन के मकान से रविदास बारात घर की और इंटरलॉकिंग कार्य।	550	57.65	29.00	ग्रा.अ.वि.
6	ग्राम राजपुर कला ब्लॉक जानसठ में अमित कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह के मकान से शिव	390	37.06	19.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	मंदिर की और इंटरलॉकिंग कार्य।				
7	ग्राम महमूदपुर मुंगर ब्लॉक जानसठ में देवल मुख्य मार्ग से सुखविंदर के मकान की और इंटरलॉकिंग कार्य।	500	57.62	29.00	ग्रा.अ.वि.
8	ग्राम छछरौली ब्लॉक मोरना में ओमवीर सिंह प्रधान के मकान से भोकरहेड़ी संपर्क मार्ग की और इंटरलॉकिंग कार्य।	900	79.90	40.00	ग्रा.अ.वि.
9	ग्राम अमीरनगर ब्लॉक बघरा में गंगा सिंह के मकान से बलबीर बालियान के मकान की और इंटरलॉकिंग कार्य।	450	26.45	13.00	ग्रा.अ.वि.
10	ग्राम जफरपुर ब्लॉक बघरा में जफरपुर पुल से ग्राम निरधना संपर्क मार्ग पर इंटरलॉकिंग कार्य।	600	42.22	21.00	ग्रा.अ.वि.
11	ग्राम करहेड़ा ब्लॉक मोरना में योगेश कुमार के मकान से अशोक शर्मा के मकान की ओर इंटरलॉकिंग कार्य।	570	39.06	20.00	ग्रा.अ.वि.
12	नगर पालिका मुजफ्फरनगर में शांति नगर के गेट नंबर 1 से डॉ0 ओंकार सिंह के मकान की ओर इंटरलॉकिंग कार्य।	600	48.46	24.00	ग्रा.अ.वि.
13	ग्राम पंचायत बहावडी ब्लॉक शामली में शामली भिक्का मार्ग से समाचन्द के मकान की ओर एवं भोलर प्रधान के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	500	28.02	14.00	ग्रा.अ.वि.
14	ग्राम पंचायत सिम्भाल्का ब्लाक शामली में मेरठ करनाल मार्ग से जिला औषधि सेण्टर से होते हुए काली सडक (योगेन्दर पुत्र लक्ष्मण के खेत) तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	880	55.61	28.00	ग्रा.अ.वि.
15	ग्राम दादूपुर में मेन रोड से सुरेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	650	39.14	20.00	ग्रा.अ.वि.
16	ग्राम होशियारपुर में बधाई खुर्द लिंक मार्ग से हरपाल के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग रोड/पी०सी० लेपन कार्य।	520	31.88	16.00	ग्रा.अ.वि.
17	ग्राम ताजपुर खुर्द में सुखपाल के मकान से रजवाहे तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	500	28.28	14.00	ग्रा.अ.वि.
18	ग्राम खिंदड़िया में कवल सिंह के मकान से गुलशन कुमार के मकान तक इण्टर लॉकिग रोड निर्माण कार्य।	500	29.04	15.00	ग्रा.अ.वि.
19	ग्राम साझंक में होली चौक से रविदास मन्दिर की ओर इण्टर लॉकिग रोड निर्माण कार्य।	500	44.41	22.00	ग्रा.अ.वि.
20	ग्राम बसेड़ा फकीर लाला कोल्हू के सामने से अन्ना पूर्णना भवन तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	500	47.09	24.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

21	ग्राम हरीनगर में महाड़ी के मन्दिर से टंकी के पास तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	450	35.72	18.00	ग्रा.अ.वि.
22	ग्राम सुन्दरनगर में चैनपाल के मकान से जयपाल भगत जी के मकान तक, इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	450	51.61	26.00	ग्रा.अ.वि.
23	ग्राम बिजोपुरा में महेन्द्र के मकान से रामकुमार कोटेवाले के मकान तक इण्टर लॉकिग रोड निर्माण कार्य।	415	24.91	12.00	ग्रा.अ.वि.
24	ग्राम गढ़ी सरवट में मस्जिद से समीर की दुकान तक एवं याकूब के मकान से शनव्वर के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	400	43.92	22.00	ग्रा.अ.वि.
25	ग्राम मेघाखेड़ी में अशोक के मकान से सन्नू के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	360	22.96	11.00	ग्रा.अ.वि.
26	ग्राम शकरपुर में रजवाहे के पुल से घसीटा राम के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	300	18.20	9.00	ग्रा.अ.वि.
27	ग्राम बहेड़ी में ताजिम नाई के मकान से मेहरवान हफीजी के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड।	300	16.09	8.00	ग्रा.अ.वि.
28	एकता विहार कालोनी में राकेश के मकान से नरेश चौधरी के मकान तक एवं शिव मंदिर से सतवीर के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	300	33.70	17.00	ग्रा.अ.वि.
29	ग्राम पचेण्डा कलां में काली सिंह मंदिर से पलटू सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	250	11.90	6.00	ग्रा.अ.वि.
30	ग्राम सलेमपुर में मेन रोड़ से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलॉकिंग कार्य	350	18.27	9.00	ग्रा.अ.वि.
31	ग्राम कुकड़ा में कुकड़ा-जौली रोड से नाले की बायीं तरफ ट्रांसफार्मर के पास पुलिया तक इंटर लॉकिंग टाइल्स निर्माण का कार्य।	700	63.64	32.00	ग्रा.अ.वि.
32	ग्राम मखियाली में मुज़फ्फरनगर भोपा मार्ग से देवेन्द्र की ट्यूबवेल की ओर सीसी रोड का निर्माण का कार्य।	600	35.45	18.00	ग्रा.अ.वि.
33	ग्राम मखियाली में मुज़फ्फरनगर भोपा मार्ग से देवेन्द्र की ट्यूबवेल से सगवा के खेत तक सीसी रोड का निर्माण का कार्य।	650	36.80	18.00	ग्रा.अ.वि.
34	मोहल्ला शांतिनगर में गेट नं. 1 से स्टडी पॉइंट तक सीसी रोड का निर्माण का कार्य।	592	48.01	24.00	ग्रा.अ.वि.
35	मोहल्ला अवध विहार, मीनाक्षीपुरम में बिजेंद्र	400	56.78	28.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	से जगदीश प्रसाद के मकान तक एवं पदम से पीतम के मकान तक इंटर लॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य				
36	मोहल्ला मुनीम कॉलोनी में महावीर सैनी से लाला भूषण लाल के मकान तक एवं नवीन गुप्ता से अनूप सिंह के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	325	35.94	18.00	ग्रा.अ.वि.
37	मोहल्ला रामपुरी में हरीओम की दूकान से बाबू राम के मकान तक व ब्रांच गलियों में सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	255	21.79	11.00	ग्रा.अ.वि.
38	मोहल्ला नई मंडी में मनोज सिंघल से भागवन्ती विद्या मंदिर तक व ब्रांच गलियों में सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	285	32.85	16.00	ग्रा.अ.वि.
39	मोहल्ला जनकपुरी में दीपक के मकान से राकेश के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	273	29.58	15.00	ग्रा.अ.वि.
40	मोहल्ला गौशाला में विनोद के मकान से रशीद के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	250	31.40	16.00	ग्रा.अ.वि.
41	मोहल्ला गौशाला में वृद्ध आश्रम से नाले तक व सुशील चौधरी तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	300	37.68	19.00	ग्रा.अ.वि.
42	मोहल्ला गौशाला में रिंकू ठाकुर के मकान से राजवीर के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	120	21.63	11.00	ग्रा.अ.वि.
43	मोहल्ला गौशाला में राशी प्रिंटिंग प्रेस से नाले तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	200	25.13	13.00	ग्रा.अ.वि.
44	हरी वृन्दावन सिटी में आदेश शर्मा के मकान से महेश शर्मा के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	200	14.92	7.00	ग्रा.अ.वि.
45	मोहल्ल्ला हरी वृन्दावन सिटी में नोमेश के मकान से दीपक के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	160	9.79	5.00	ग्रा.अ.वि.
46	ग्राम गढी नौआबाद में मास्टर जयसिंह के मकान से ब्रान्च गली लेते हुए बबलू, पुत्र रतन सिंह के खेत तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	28.63	14.00	ग्रा.अ.वि.
47	ग्राम दुलैहरा मे कुटबा-कुटबी मार्ग से सदरूदीनगर की ओर बाईपास तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	37.19	19.00	ग्रा.अ.वि.
48	ग्राम हडौली में ब्रजपाल पुत्र सुखवीर के मकान	520	35.96	18.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	से धर्म सिंह मास्टर के घेर से होते हुए अनिल पुत्र जबर सिंह के घेर तक इंटर लाकिंग व निर्माण कार्य				
49	ग्राम लुहसाना में मौहम्मदपुर रायसिंह रोड पर हरपाल के घेर से दिनेश के खेत तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	40.41	20.00	ग्रा.अ.वि.
50	ग्राम जौला में अनवर उर्फ मिन्टू के मकान से कुरालसी देवी रोड तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	570	40.45	20.00	
51	ग्राम गढी नौआबाद में राजकुमार व सहदेव के मकान व राजेन्द्र के मकान से होते हुए काला पुत्र महकसिंह के मकान तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	29.02	15.00	ग्रा.अ.वि.
52	ग्राम नगवा में मैन रोड पर प्राथमिक विद्यालय से नये मन्दिर से होते हुए पुराने मन्दिर के चौराहे तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	560	35.39	18.00	ग्रा.अ.वि.
53	ग्राम गोयला में मुबारिकपुर रोड पर ओमप्रकाश प्रीसिपल के मकान से कितास वाले चौराहे तक इण्टरलॉकिम व नाली निर्माण कार्य	500	37.20	19.00	ग्रा.अ.वि.
54	ग्राम गढ़ी नौआबाद में रामबल पुत्र ईश्वर के मकान से अनुज पुत्र धर्मवीरा व किरणपाल, महेन्द्र पुत्र भरतू के मकान से होते हुए सनसवीर पुत्र सीता के मकान तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	33.97	17.00	ग्रा.अ.वि.
55	ग्राम बिटावदा में रोहताश पुत्र रगवीर के प्लाट से नहर व विटावदा मिंडकाली रोड तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	515	34.93	17.00	ग्रा.अ.वि.
56	ग्राम बसीकला में मैन रोड से टंकी से होते हुआ पलडा प्राथमिक स्कूल के सामने से तालाब तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	400	27.56	14.00	ग्रा.अ.वि.
57	ग्राम खेडी सूडियान में सुरेन्द्र पुत्र तिलका के मकान से अरविन्द पुत्र महकसिंह के मकान तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	40.87	20.00	ग्रा.अ.वि.
58	ग्राम आदमपुर में शाहपुर शिकारपुर मार्ग से राजा राम के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	500	31.31	16.00	ग्रा.अ.वि.
59	ग्राम गढी नौआबाद में पप्पू पुत्र रामफल के मकान से शिकारपुर की ओर काली सडक तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य	500	45.00	23.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

60	ग्राम फूलत में बाईपास मार्ग पर काली सडक/इण्टरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	1000	48.94	24.00	लो.नि.वि.
61	ककराले वाले रास्ते से रघुनन्दन शर्मा के मकान तक काली सड़क/लॉकिंग टाईलस रोड का निर्माण कार्य।	390	23.48	12.00	लो.नि.वि.
62	मढ़करीमपुर रास्ते से प्राथमिक विद्यालय तक काली सडक/लॉकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	650	33.34	17.00	लो.नि.वि.
63	ग्राम पंचायत मेहलकी में गाँव से मन्दिर तक जाने वाले रास्ते पर काली सडक/लॉकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	530	26.01	13.00	लो.नि.वि.
64	ग्राम कैलावडा कला में चतरपाल के मकान से मदवाडी लिंक मार्ग की तरफ सम्पर्क मार्ग पर काली सडक/इण्टर लॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	1500	51.35	26.00	लो.नि.वि.
65	समोली में योगेश शर्मा के मकान से कैराना खतौली मार्ग तक (वाया कैलाश नगर) काली सडक/इण्टर लॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	1600	116.38	58.00	लो.नि.वि.
66	ग्राम मंतौडी से मीरापुर दलपत मार्ग तक काली सडक/इण्टर लॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	1700	87.32	44.00	लो.नि.वि.
67	ग्राम सादपुर से राठौर लिंक मार्ग की तरफ काली सडक/इण्टर लॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	2500	115.81	58.00	लो.नि.वि.
68	ग्राम गादला मे मुझेडा-बसेडा मार्ग से माढी वाला मेन रास्ता अशोक त्यागी के मकान की ओर इण्टरलॉक कार्य।	556	36.91	18.00	ग्रा.अ.वि.
69	ग्राम सम्भलहेडा वाल्मीकि चोपाल से भट्टे की ओर इण्टर लॉक कार्य।	500	46.94	23.00	ग्रा.अ.वि.
70	ग्राम छछरौली में श्री अरूण चौहान के मकान से भोकरहेडी रोड की ओर इण्टरलॉक कार्य।	217	14.54	7.00	ग्रा.अ.वि.
71	ग्राम भोकरहेडी में श्री कवरपाल मूला के मकान से स्व० श्री जगराज के मकान से होते हुए श्री राकेश पनवाडी के मकान की ओर इण्टरलॉक कार्य।	232	10.52	5.00	ग्रा.अ.वि.
72	ग्राम सम्भलहेडा मे मेन रोड से पाल हरिजन मौहल्ले की ओर इण्टरलॉक कार्य।	500	36.94	18.00	ग्रा.अ.वि.
73	ग्राम ककराला में क्रेशर से स्कूल की ओर इण्टरलॉक कार्य।	510	41.47	21.00	ग्रा.अ.वि.
74	ग्राम सिकन्दरपुर मे शिवपुरी वाले रास्ते से मैन सडक मीरापुर से खुजेडा वाले रास्ते तक	900	60.63	30.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्टरलॉक कार्य।				
75	ग्राम ककराला में जम्बेश्वर मन्दिर से आगे राजवाह का बाई पटरी चौ0 कदम सिह ममारियल आई०टी०आई0 की ओर इण्टरलॉक कार्य।	510	20.58	10.00	ग्रा.अ.वि.
76	ग्राम जीवनपुरा में प्राइमरी स्कूल से श्री मदन पाल के घर की ओर इण्टरलॉक कार्य।	400	37.26	19.00	ग्रा.अ.वि.
77	विकास खण्ड जानसठ के ग्राम रहडवा में ईलम के मकान से गंगा के बांध तक इण्टरलॉक कार्य।	500	27.69	14.00	ग्रा.अ.वि.
78	ग्राम इस्सोपुर में पश्चिम शिव मन्दिर से बाल्मीकि मन्दिर की ओर व नई बस्ती में श्री सुरेश दूधिया के मकान से मेहरचन्द प्रजापति के मकान की ओर इण्टरलॉक कार्य	323	19.34	10.00	ग्रा.अ.वि.
79	ग्राम मलपुरा में मलखान के मकान से श्री अमरीश के दवताओं की ओर इण्टरलाक कार्य	280	11.53	6.00	ग्रा.अ.वि.
80	ग्राम कम्हेडा में मेन रोड से रामपाल कश्यप के मकान से श्यामत के मकान की ओर इण्टर लॉक कार्य	172	7.96	4.00	ग्रा.अ.वि.
81	ग्राम वजीराबाद तालाब से ककराला राजवाहे की पटरी की ओर इण्टरलॉक कार्य	860	52.31	26.00	ग्रा.अ.वि.
82	ग्राम बेहडा थु में श्री जयपाल के मकान से श्री प्रवीण प्रजापति के खेत की ओर इण्टर लॉक कार्य	200	10.54	5.00	ग्रा.अ.वि.
83	ग्राम बिहारगढ़ में श्री रामपाल कश्यप के मकान से धर्मेन्द्र पुत्र सूरजभान के मकान की ओर इण्टर लॉक कार्य	83	6.74	3.00	ग्रा.अ.वि.
84	ग्राम बेलडा में जयपाल के घर से अरशद के घर की ओर इण्टरलॉक कार्य	287	14.53	7.00	ग्रा.अ.वि.
85	ग्राम मनफोडा के मेन सडक से इन्द्र मास्टर जी के मकान की ओर इण्टरलॉक कार्य	250	14.06	7.00	ग्रा.अ.वि.
86	ग्राम स्याली में भूमिया की ओर मेन रोड़ से टेकचंद के प्लॉट की ओर इण्टरलॉक कार्य	240	13.91	7.00	ग्रा.अ.वि.
87	ग्राम तिलोरा में बंटी के मकान से ओमपाल के मकान की ओर मेन सडक से धर्मपाल के मकान की ओर सिद्धू के मकान की ओर इण्टरलॉक कार्य	150	9.11	5.00	ग्रा.अ.वि.
88	ग्राम धनसैनी में मुकेश के खेत से शमशान घाट तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	500	23.42	12.00	ग्रा.अ.वि.
89	ग्राम दुधली रामकुमार कोरी के मकान से पिलखनी मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	500	24.95	12.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

90	ग्राम मुकन्दपुर में जूनियर हाईस्कूल से प्राथार्मिक उपकेन्द्र से होते हुए सुनील के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	500	23.42	12.00	ग्रा.अ.वि.
91	गढी देशराज से बघरा सम्पर्क मार्ग तक खंड़जे लेपन का कार्य।	950	34.71	17.00	ग्रा.अ.वि.
	योग:	**48360**	**3205.62**	**1605.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

/ स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों की मद के नामे डाला जायेगा:-

- उक्त तालिका के **क्रमांक-12 एवं 34 से 45** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **207.00 लाख** को 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- **0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **1398.00 लाख** को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:31/2026/507(1)/35-4-2026/35-4002(003)/56/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, सहारनपुर मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मुजफ्फरनगर।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुजफ्फरनगर।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।